न्यायालय कलक्टर, एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी चेतन देवड़ा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 67/2019 (रे.वि.)
पंजीयन दिनांक 25.10.2019

जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड़ एक निगमित निकाय है। जिसका प्रधान पंजीकृत कार्यालय 102, कंचन अपार्टमेंट, एल.बी. एस. कॉलेज के सामने, तिलक नगर, जयपुर (राज.) में स्थित व कार्यरत है और जिसका एक शाखा कार्यालय चित्तौड़गढ़ (राज.) में स्थित व कार्यरत है जरिये प्राधिकृत अधिकारी

–प्रार्थी

बनाम

1–श्री पवन कुमार पुत्र बाल चन्द डांगी निवासी 18, अहिर मौहल्ला, ग्राम बांसा, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ राज.–312620
2–श्रीमति गंगा डांगी पत्नि पवन कुमार डांगी निवासी 18, अहिर मौहल्ला, ग्राम बांसा, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ राज.–312620
3–श्री शांतिलाल डांगी पुत्र भैरूलाल डांगी निवासी 40, सतखण्डा, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ राज.–312620

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन ओर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थिति : 1– श्री राजेश कुमार जोशी, अधिवक्ता प्रार्थी

आदेश

दिनांक 21.01.2020

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन ओर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि केन्द्रीय सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा प्रार्थी को भारत के राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक 24.10.2018 से वित्तीय संस्था के रूप में विनिर्दिष्ट किया है। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रूपये 7,10,000/– रू. की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गयी है। ऋण राशि के पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थीगण द्वारा अपनी निम्न सम्पत्ति को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में रहन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये, किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा बकाया राशि जमा नहीं कराये जाने से यह आवेदन प्रस्तुत किया गया।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
चित्तौड़

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। विपक्षीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से विपक्षीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। बहस प्रकरण अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई।

प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी वित्तीय संस्था एक नियमित निकाय है, जो अपनी शाखाओं के माध्यम से बैंकिंग व्यवसाय करती है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने इस शाखा से अप्रार्थीगण को उक्त ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गयी जिसके तहत रहन की गई जायदाद का विवरण निम्न हैः-

श्री पवन कुमार पुत्र श्री बाल चन्द उर्फ बालू की सम्पत्ति जो ग्राम बांसा, पट्टा नं. 09, ग्राम पंचायत फाचर अहिरान, पंचायत समिति निम्बाहेड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढ़ांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसकी मान लगभग 2700 वर्गफीट है चर्तुसीमाः-

पूर्व में	**:- आम रास्ता**	**पश्चिम में**	**:- तारा चन्द डांगी का घर**
उत्तर में	**:- कैलाश डांगी का घर**	**दक्षिण में**	**:- भंवर लाल डांगी का घर**

उक्त सम्पति प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में रहन रख कर ऋण स्वीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण व ब्याज की राशि नियमित भुगतान नहीं करने पर, प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी राशि का भुगतान नहीं किया गया है। जिससे अप्रार्थीगण के जिम्मे दिनांक 22.06.2019 तक राशि रूपये 7,23,891/- रूपये तथा ब्याज व अन्य चार्जेज देय निकलते है। उक्त राशि का भुगतान नहीं करने से अप्रार्थीगण स्वयं जिम्मेदार है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा बतौर जमानत प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में रहन रखी गयी सम्पति का कब्जा जरिए पुलिस इमदाद प्रार्थी वित्तीय संस्था को दिलाया जावे।

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण को ऋण उपलब्ध कराये जाने से इस राशि के पुनर्भरण हेतु बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद अप्रार्थीगण ने वित्तीय संस्था के पक्ष में रहन रखी है। वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी उपरोक्त बकाया राशि जमा नहीं कराई गयी है। द सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002 की धारा 14 में सर्व प्रथम उक्त रहन रखी गई सम्पति को प्रार्थी वित्तीय संस्था के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः ऋणी द्वारा वित्तीय संस्था के पक्ष में रखी गयी सम्पति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को दिलाया जाना उचित है।

अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था के पक्ष में रखी गयी पैरा संख्या 3 में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था प्रतिनिधि को जरिये पुलिस संभलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(चेतक देवड़ा)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Chetan Ram Deora
Date: 2020.02.03 17:29:54 IST
Reason: SelfAttested
Location: